बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री शिव बिहारी शर्मा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलागंज, गया (विभागीय अधिसूचना संख्या– 3094 दिनांक– 29.06.2018 द्वारा बेनीपट्टी मधुबनी मे नव पदस्थापित) के विरूद्ध क्षेत्र भ्रमण के नाम पर खानापुर्ति करने, कालाबाजारी रोकने हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा क्रियान्वित लाभकारी योजनाओं पर इनके कर्त्तव्यहीनता के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना संबंधित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–4606 दिनांक– 11.06.2018 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते हुए निलम्बित करने की अनुशंसा की गयी है । श्री शर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त गम्भीर आरोपों के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2005 के नियम 9(1)(क) के अन्तर्गत तुरन्त के प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उप निदेशक, खाद्य का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर रहेगा ।

3. निलम्बन अवधि में श्री शिव बिहारी शर्मा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलागंज, गया (विभागीय अधिसूचना संख्या– 3094 दिनांक– 29.06.2018 द्वारा बेनीपट्टी मधुबनी मे नव पदस्थापित) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2005 के प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0(गया)–27/2018 3256 /खाद्य,पटना/दिनांक 10/07/18

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, गया/अपर सचिव, प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक, खाद्य, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री शिव बिहारी शर्मा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलागंज, गया (विभागीय अधिसूचना संख्या– 3094 दिनांक– 29.06.2018 द्वारा बेनीपट्टी मधुबनी मे नव पदस्थापित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

05/7/XVIII
सरकार के अपर सचिव ।

D:\backup\Year_2016\PK\sec-08 (08-08-2016)\sec_BOH ... doc AKS